पत्रांक- अ0सं0क0-08-05/2010 (खण्ड)/147.../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना

पटना, दिनांक 19.2.16

विषयः- **केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजना के तहत निर्माणाधीन मलाही ग्राम, सीतामढ़ी में 01 इकाई पॉलीटेक्निक कॉलेज भवन/ छात्रावास भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा प्रति इकाई 1230.00 लाख रुपये (बारह करोड़ तीस लाख रुपये) के दर से स्वीकृत एवं 2270.00 लाख (बाईस करोड़ सत्तर लाख रुपये) विशेष राज्यांश अर्थात् कुल 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान अनूसूची दर के आधार पर अन्तर राशि 1332.92 लाख रुपये (तेरह करोड़ बत्तीस लाख बिरान्वे हजार रुपये) अर्थात कुल 4832.92 लाख रुपये (अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बिरान्वे हजार रुपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम0एस0डी0पी0) के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य के 07 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में अल्पसंख्यको के बहुक्षेत्रक विकास यथा विद्यालय भवनों का निर्माण, सड़क निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण, आई0टी0आई0 का निर्माण एवं पॉलिटेकनिक भवन निर्माण आदि से संबंधित कुल 523.20 करोड़ रूपये की योजना प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसका कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया जा रहा है। ये जिले और उनसे संबंधित निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैः- अररिया-81.1 करोड, किशनगंज-87.9 करोड़, पूर्णिया-85.5 करोड़, कटिहार-82.6 करोड़, सीतामढ़ी-67.8 करोड़, प0 चम्पारण-58.6 करोड़ एवं दरभंगा-59.7 करोड़ अर्थात कुल योग 523.20 करोड़ रूपये है । योजना के कार्यान्वयन हेतु उपर्युक्त संबंधित जिलों में मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा बेस लाईन सर्वे किया गया है । सर्वे से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिलों के लिए उपयुक्त योजनाओं का चयन जिला स्तर पर करते हुए डी0पी0आर0 तैयार कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को विधिवत् उपलब्ध कराया गया । अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अब तक कुल रूपये 52223.37 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए केन्द्रांश की राशि के रूप में 45750.00 लाख रूपये विमुक्त किया गया है जिसे निर्धारित राज्यांश की राशि 18012.00 लाख रूपये के साथ अर्थात् कुल रूपये 63762.00 लाख रूपये संबंधित 07 जिलों को आवंटित कर दिया गया है ।मंत्रिपरिषद द्वारा 523.2 करोड़ रूपये की कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति विभिन्न चरणों में दी जा चुकी है । वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक स्वीकृत अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्पन्न हो चुका है तथा अवशेष प्रगति की ओर अग्रसर है।

(कृ0पृ0उ0)

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा सीतामढ़ी जिला के मलाही गाँव में बालक छात्रावास सहित बालक पॉलिटेक्निक निर्माण की प्रति ईकाई 1230.00 लाख रुपये की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है जो शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित है । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या- 430 दिनांक 12.11.2014 द्वारा केन्द्रांश की विमुक्त प्रथम किस्त की राशि 615.00 लाख रुपये एवं द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि विभागी स्वीकृत्यादेश संख्या 32 दिनांक 22.4.2015 के द्वारा 615.00 लाख अर्थात् कुल 1230.00 लाख के अतिरिक्त 2270.00 लाख विशेष राज्यांश अर्थात् कुल 3500.00 लाख विमुक्त किया गया । जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं है । विज्ञान एवं प्रवैद्यिकी विभाग के मानक प्राक्कलन एवं केन्द्र सरकार के मानक के अनुरूप निर्माण सामग्रियों के बढ़े हुए दर को ध्यान में रखते हुए एक यूनिट बालक छात्रावास सहित बालक पॉलिटेक्निक के निर्माण पर 4832.92 लाख रूपये व्यय होगे । इस तरह कुल 01 यूनिट के लिए केन्द्रांश के अतिरिक्त 1332.92 लाख रूपये की आवश्यकता है, के मद्देनजर विशेष राज्यांश के रूप में कार्यान्वयन एवं विधिवत व्यय करने की स्वीकृति मंत्री परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है ।

3. उपर्युक्त स्वीकृति/सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित अवधि में किया जाएगा तथा इस पर केन्द्रांश के रूप में होने वाले व्यय एवं विशेष राज्यांश की राशि का व्यय विधिवत मांग संख्या-03 के अन्तर्गत विहित मुख्यशीर्ष- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80- सामान्य 051 निर्माण 0321- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विषय शीर्ष 53 01- मुख्य निर्माण, विपत्र कोड P-4059800510321 में प्रावधानित वित्तीय वर्ष 2015-16 से किया जाएगा जिसके व्यय की स्वीकृति दी जाती है ।

4. इस योजना की विशेष राज्यांश की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में केन्द्रीय दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग के पत्रांक 989/बि0 दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 147 पटना, दिनांक- 19.2.16

प्रतिलिपिः- सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 147 पटना, दिनांक- 19.2.16

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 147 पटना, दिनांक - 19.2.16

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव
19.2.16
(कृ०प०उ०)

o/c

ज्ञापांक - 147 पटना, दिनांक - 19.2.16

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 147 पटना, दिनांक- 19.2.16

प्रतिलिपि :- अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 147 पटना, दिनांक- 19.2.16

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव
19.2.16